

आम मतदाता सूची और एक राष्ट्र-एक चुनाव प्रक्रिया

प्रलिस के लिये:

लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 तथा अनुच्छेद 243K और 243ZA

मेन्स के लिये:

भारतीय राजनीति, सामान्य मतदाता सूची तथा संबंधित चुनौतियाँ, समकालिक चुनाव प्रक्रिया या एक ही समय पर होने वाले चुनाव की अवधारणा के गुण एवं दोष।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून और न्याय मंत्री द्वारा [राज्यसभा](#) में सूचित किया गया है कि देश में सभी निर्वाचक निकायों के लिये एक समान मतदाता सूची तैयार करने और समकालिक चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने के लिये [जन प्रतनिधित्व अधनियम, 1951](#) में संशोधन करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है।

आम मतदाता सूची:

■ आम मतदाता सूची के बारे में:

- आम मतदाता सूची (Common Electoral Roll) के तहत [लोकसभा](#), विधानसभा और अन्य चुनावों के लिये केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

■ वर्तमान में भारत में मतदाता सूची के प्रकार:

- कुछ राज्यों में कानून राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिये भारतीय चुनाव आयोग की मतदाता सूची का प्रयोग करने और उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका और पंचायत चुनावों हेतु मतदाता सूची को तैयार करने और संशोधन के आधार के रूप में चुनाव आयोग की मतदाता सूची का उपयोग करता है।
- कुछ राज्यों की अपनी मतदाता सूची है जैसे- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। ये सभी राज्य स्थानीय निकाय चुनावों के लिये चुनाव आयोग की सूची का प्रयोग नहीं करते हैं।
- मूल अंतर यह है कि हमारे देश में चुनावों के पर्यवेक्षण और संचालन का कार्य दो संवैधानिक प्राधिकरणों- भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है।

- [भारत का चुनाव आयोग \(EC\)](#) वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था, चुनाव आयोग पर नमिनलखित का चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी है:

- भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति।
- संसद, राज्य विधानसभाओं और विधानपरिषदों।

- [राज्य चुनाव आयोग \(SECs\)](#): दूसरी ओर [SEC](#) को नगरपालिका और पंचायत चुनावों का स्वतंत्र एवं नष्पिक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है तथा वे स्थानीय निकाय चुनावों हेतु अपनी मतदाता सूची तैयार करने के लिये स्वतंत्र हैं।

■ जरूरत:

- भारी खर्च और परश्रम से बचने हेतु एक अलग मतदाता सूची और एक साथ चुनाव।
 - यह तर्क दिया जाता है कि एक अलग मतदाता सूची तैयार करने में भारी खर्च और परश्रम का दोहराव होता है।
- पहले की सफ़ारिशें:
 - विधि आयोग ने वर्ष 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में एकल मतदाता सूची हेतु इसकी सफ़ारिश की थी।
 - चुनाव आयोग ने भी वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में इसी तरह का रुख अपनाया था।
 - चुनाव आयोग ने कहा कि यह मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि उनके नाम एक सूची में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दूसरे में अनुपस्थिति हो सकते हैं।

■ कार्यान्वयन की प्रक्रिया:

- अनुच्छेद 243K और 243ZA में संवैधानिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।
 - अनुच्छेद 243K और 243ZA राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित हैं। ये राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को

नरिवाचक नामावली तैयार करने तथा इन चुनावों के संचालन के अधीक्षण, नरिदेशन और नरियंत्रण की शक्ति प्रदान करते हैं।

- इस संशोधन से देश में सभी चुनावों के लिये एक ही मतदाता सूची अनवरिार्य हो जाएगी।
- राज्य सरकारों को अपने कानूनों में संशोधन करने और नगरपालिका तथा पंचायत चुनावों के लिये नरिवाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूची को अपनाने के लिये राजी कथिा जाना चाहिये।
- **चुनौतथियाँ:**
 - ज़रूरी नहीं कनरिवाचन आयोग के मतदान केंद्र की सीमाएँ वार्डों से मेल खाती हों।
 - इस बदलाव के लिये बड़े पैमाने पर आम सहमतबिानाने की कवायद की आवश्यकता होगी।

एक साथ चुनाव:

■ परचिय:

- 'एक साथ चुनाव' या एक राष्ट्र-एक चुनाव का वचिार भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संरचति करने को संदरभति करता है ताकलोकसभा एवं राज्य वधिनसभाओं के चुनावों को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए जसिसे दोनों चुनाव एक नश्चति समय के भीतर हो सकें।

■ लाभ:

- इससे मतदान में होने वाले खर्च, राजनीतिक पार्टियों के खर्च आदि पर नज़र रखने में मदद मलिंगी और जनता के पैसे को भी बचाया जा सकता है।
- प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बढ़ते बोझ को भी कम कथिा जा सकता है।
- सरकारी नीतियों को समय पर लागू करने में मदद मलिंगी और यह भी सुनश्चति कथिा जा सकेगा है कप्रशासनिक मशीनरी चुनावी मोड के बजाय वकिसा संबंधी गतविधियों में संलग्न हो।
- शासनकर्त्ताओं की ओर से शासन संबंधी समसयाओं का समाधान समय पर कथिा जाएगा। आम तौर पर यह देखा जाता है ककिसी वशिष वधिनसभा चुनाव में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक नरिणय लेने से बचते हैं जो अंततः देश को दीर्घकालिक लाभ पहुँचा सकता है।
- पाँच वर्ष में एक बार चुनावी तैयारी के लिये सभी हतिधारकों यानी राजनीतिक दलों, भारतीय नरिवाचन आयोग (ECI), अर्द्धसैनिक बलों, नागरिकों को अधिक समय मलि सकेगा।

■ चुनौतथियाँ:

- भारत की संसदीय प्रणाली का पालन करने वाली वभिन्न परंपराओं को देखते हुए सकिरनाइज़ेशन एक काफी बड़ी समसया है। सरकार नचिले सदन के प्रतजिवाबदेह है और यह संभव है कसरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गरि सकती है तथा जसि कषण सरकार गरिती है, नए सरि से चुनाव आयोजति कथि जाते हैं।
- इस वचिार पर सभी राजनीतिक दलों को राजी करना और एक साथ लाना काफी मुश्कलि होता है।
- एक साथ चुनाव कराने के लिये 'इलेक्ट्रॉनिक वोटगि मशीन' (EVMs) और 'वोटर वेरफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलस' (VVPATs) की आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी, क्योँक चुनाव आयोग को दो सेट (एक वधिनसभा के चुनाव और दूसरा लोकसभा के लिये) प्रदान करने होंगे।
- मतदानकर्मियों के लिये अतरिकित आवश्यकता और सुरक्षा के बेहतर इंतज़ाम करना भी एक काफी बड़ी चुनौती होगी।

आगे की राह

- प्रत्येक माह अलग-अलग जगहों पर चुनाव आयोजति होते हैं और इससे वकिसा कार्य बाधति होते हैं। इसलिये वकिसा कार्यों पर आदर्श आचार संहति के प्रभाव को रोकने के लिये एक साथ चुनाव आयोजति करने पर गहन अधययन एवं वचिार-वमिर्श करना आवश्यक है।
- देश को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की ज़रूरत है या नहीं, इस पर आम सहमतबिानाने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों को कम-से-कम इस मुद्दे पर बहस में सहयोग करना चाहिये, बहस शुरु होने के बाद जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। भारत को एक परपिक्व लोकतंत्र होने के नाते बहस के परिणाम का अनुसरण करना चाहिये।

स्रोत: द हट्टि